UPET120075242022

न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा।
उपस्थित : श्री आशुतोष खरवार, उ०प्र० न्यायिक सेवा
(JO Code–UP 3806)
परिवाद संख्या–3404/2022
उमेश कुमार शर्मा बनाम अतुल कुमार

धारा 138 एन०आई० एक्ट
थाना– अवागढ, जिला एटा

निर्णय

14.12.2024

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। परिवादी की ओर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी ने अपना पूरा पैसा विपक्षी अतुल कुमार से प्राप्त कर लिया है। विपक्षी पर प्रार्थी का अब कोई शेष रुपया नहीं है। अतः परिवादी द्वारा समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण किये जाने की याचना की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी उमेश की ओर यह परिवाद अभियुक्त द्वारा दिये गये मु०–1,50,000/– रुपये के चैक सं०–591944 के अनादृत होने पर योजित किया गया था। परिवादी की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसने विपक्षी से अपनी सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली है, उसका कोई बकाया शेष नहीं है। इस सम्बन्ध में परिवादी व विपक्षी द्वारा अपने अपने शपथपत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नित किये गये हैं।

प्रस्तुत प्रकरण एन०आई०एक्ट की धारा 147 के अनुसार शमनीय है। परिवादी अनुसार विपक्षी से उसका फैसला हो गया है, जिसके अनुसार उसको उसकी समस्त धनराशि प्राप्त हो गयी है, अब कोई बकाया शेष नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में यह परिवाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

–आदेश–

तदनुसार, परिवाद सं०–3404/2022, उमेश कुमार शर्मा बनाम अतुल कुमार अन्तर्गत धारा 138 एन०आई०एक्ट, थाना अवागढ, जिला एटा, निस्तारित किया जाता है व अपराध का शमन किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(आशुतोष खरवार),
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,
जलेसर, एटा।

दिनांक 14.12.2024

Digitally signed by ASHUTOSH KHARWAR
Date: 2024.12.14 16:40:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court